

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 93/2022

URN: CMA / 139U / 2022

1. श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री गोपाल बैरवा, उम्र 48 वर्ष,
2. भोपाल बैरवा पुत्र श्री घीसाराम बैरवा, आयु 49 वर्ष, (मृतक दौराने अपील)
3. नन्दू बैरवा पुत्र श्री गोपाल बैरवा, उम्र 17 वर्ष,
4. वेदराज पुत्र श्री गोपाल बैरवा, उम्र 15 वर्ष,
5. मनभर पुत्री गोपाल बैरवा, आयु 13 वर्ष,
प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता तारा देवी निवासीयान-वार्ड नं. 4, बैरवाओं का मोहल्ला, प्रताप कॉलोनी, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान)

-----प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोपाल लाल वैष्णव पुत्र श्री जगन्नाथ दास वैष्णव, निवासी-ग्राम कुराडिया, थाना जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो, कोटा राजस्थान जरिये प्रबन्धक/संचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कोटा आगार जिला कोटा (राजस्थान)
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो, टोंक राजस्थान जरिये प्रबन्धक/संचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोंक (राजस्थान)

-----अप्रार्थीगण

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4788/2019

URN: CMA / 7405U / 2019

1. Rajasthan State Road Transport Corporation, Depot Kota, Rajasthan Through Manager/Director, Rajasthan State Road Transport Corporation, Kota Depot, District Kota (Raj)
2. Rajasthan State Road Transport Corporation Ltd., Depot Tonk, Rajasthan Through Manager/Director, Rajasthan State Road Transport Corporation, Tonk (Raj)
Having It's Head Office At Parivahan Marg, C-Scheme, Jaipur Both are Represented Through Their Officer Incharge

-----Non-Claimants/Appellants

Versus

1. Smt. Tara Devi W/o Shri Gopal Bairwa, Aged About 46 Years,
2. Gopal Bairwa S/o Shri Gheesaram Bairwa, Aged About 47 Years,
3. Nandu Bairwa S/o Shri Gopal Bairwa, Aged About 14 Years,
4. Vedraj S/o Shri Gopal Bairwa, Aged About 13 Years, R/o
5. Manbhar D/o Gopal Bairwa, Aged About 11 Years,
Claimants-respondents No. 3 to 5 are minor through their natural guardian mother Tara Devi,
All R/o Ward No. 4, Bairwaon Ka Mohalla, Pratap Colony, Tehsil Devli, District Tonk (Rajasthan)

-----Claimants/Respondents

6. Gopal Lal Vaishnav S/o Shri Jagannath Das Vaishnav, R/o Vill. Kuradiya, Police Station Jahajpur Tehsil Jahajpur, District Bhilwara, (Rajasthan)

-----Non-Claimant/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajpal Dhankar, Adv. with Mr. Dharmendra Gurjar, Adv. (for RSRTC)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

03/07/2026

1. दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण (जिन्हें आगे 'दावाकर्तागण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-93/2022 एवं अप्रार्थी/अपीलान्ट आर.एस.आर.टी.सी. (जिन्हें आगे 'अपीलान्ट आर.एस.आर.टी.सी.' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-4788/2019, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटरयान दुर्घटना

दावा अधिकरण, टोंक (जिन्हें आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या-05/2016, श्रीमती तारा देवी व अन्य बनाम गोपाल व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक **30.03.2019** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. दावाकर्तागण श्रीमती तारा देवी व अन्य की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष, किशनलाल उर्फ कालू की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,30,76,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए दावाकर्तागण को कुल 8,04,576/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-93/2022** विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु तथा अपीलांट आर.एस. आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-4788/2019** विद्वान अधिकरण द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. **अपील संख्या-93/2022** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय 5,122/- रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतक टायर पंचर की दुकान चलाने का कार्य करके 18-20 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को कंसोर्टियम की मद कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। अतः दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने एवं अपीलांट

आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गयी।

4. **अपील संख्या-4788/2019** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. का यह तर्क रहा है कि हस्तगत दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक मृतक किशनलाल उर्फ कालू के द्वारा मोटरसाईकिल को लापरवाही व उपेक्षा से चलाये जाने के कारण घटित हुई है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत के तहत हस्तगत दुर्घटना में मृतक की भी योगदायी उपेक्षा मानी जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का दायित्व अप्रार्थीगण पर डाला जाकर त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. का यह भी कथन रहा है कि मामले की दुर्घटना में प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस का मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मारना अंकित किया गया है, जिसके संबंध में चश्मदीद साक्षी गवाह ए.ड.2 गोविंद ने उक्त मोटरसाईकिल के पीछे बैठा होना बताया है, किंतु हस्तगत दुर्घटना में उसके कोई चोट नहीं आई है, जो मामले को संदेहास्पद बनाती है। अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को जो क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है, वह अत्यधिक है, जिसमें कमी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के निर्णय को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

अपील संख्या-4788/2019 :-

7. अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील में मुख्यतः यह आक्षेप लिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना मृतक की लापरवाही व उपेक्षा से वाहन चलाये जाने के कारण घटित हुई है। अतः

योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत के तहत मृतक की भी योगदायी उपेक्षा मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जावे। उक्त आक्षेप के संबंध में सर्वप्रथम मृतक के पिता गोपाल द्वारा हस्तगत मामले में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-1 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक किशनलाल उर्फ कालू व गोविन्द बैरवा दिनांक 31.08.2015 को मोटरसाइकिल नंबर आरजे-14-एसएल-7469 पर घर से दुकान के लिए जा रहे थे। वे जैसे ही समय करीब 8:30 एएम पर बड़ौदा बैंक देवली के पास पहुंचे तो पीछे से तेजगति व लापरवाही से रोडवेज चालक रोडवेज बस नंबर आर.जे.-20-पीए-6314 ने रोडवेज को साईड दबाकर उनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी के पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त आक्षेप के संबंध में दावाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करवाये गये गवाहों का अवलोकन किया गया, जिनमें घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.ड.2 गोविन्द बैरवा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2015 को वह और किशनलाल घर से मोटरसाइकिल से पेंच की बावड़ी स्थिति किशन उर्फ कालू की दुकान पर जा रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा देवली के पास एक बस सं. आरजे-20-पीए-6314 तेज गति, लापरवाही से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि मोटरसाइकिल मृतक ही चला रहा था। मृतक ने मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहन रखा था तथा उक्त गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि मृतक ने मोटरसाइकिल को ओवरेटक करते वक्त आगे जाकर अचानक ब्रेक लगा दिया हो, जिससे दुर्घटना कारित हुई हो तथा किशनलाल की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

8. हस्तगत मामले की दुर्घटना के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत फर्द सुरतेहाल मोटरसाइकिल संख्या आरजे-14-एसएल-7469 प्रदर्श-6 के अवलोकन से मोटरसाइकिल के हेड लाइट के उपर के कवर में दाहिनी तरफ रगड़ के निशान होना, आगे का दाहिना इण्डीकेटर का कांच टूटा हाना, टंकी दायीं तरफ दबी होना, आगे का लेग गार्ड पर रगड़ के निशान होकर पीछे की

ओर मुड़ा होना जाहिर है तथा प्रदर्श-4 नक्शेमौके के अनुसार भी आरोपित वाहन रोडवेज बस चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही प्रकट होती है, जिसके विरुद्ध बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रदर्श-2 भी प्रस्तुत किया गया है। मामले में अनुसंधान के उपरान्त प्रश्नगत वाहन चालक के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश हुआ है।

9. अतः हस्तगत मामले में दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से रोडवेज बस चालक आर.जे.-20-पीए-6314 के चालक द्वारा बस को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.-14-एसएल-7469 को पीछे से टक्कर मारना तथा उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप किशनलाल उर्फ कालू की मौके पर ही मृत्यु होना जाहिर है। इसके अतिरिक्त अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा अपने तर्कों में उठाये गये आक्षेप को अपने पक्ष में साबित किए जाने हेतु कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से योगदायी उपेक्षा के संबंध में उठाया गया आक्षेप माने जाने योग्य नहीं होने से अपीलांट आर.एस. आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-4788/2019 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

अपील संख्या-93 / 2022 :-

10. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 31.08.2015 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को टायर पंचर की दुकान चलाने का कार्य करके 18-20 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसे अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस के आधार पर तय करते हुए $197 \times 26 = 5,122/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की

गई है। जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस के आधार पर तय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की आय $197 \times 30 = 5,910/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय $5,910/-$ रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत (2,364/- रुपये)** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **8,274/- रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।

11. अविवाहित मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार $8,274/-$ रुपये का $1/2$ भाग $4,137/-$ रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि $4,137/-$ रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 15 से 20 वर्ष के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय $4,137/-$ रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति **$4,137 \times 12 \times 18 = 8,93,592/-$ रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के

मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

13. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहरु राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की माता अपीलार्थिया संख्या-1 व भाई-बहन अपीलार्थी संख्या-3 लगायत व 5 को "फिलीयल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 40,000/- रुपये (कुल 1,60,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। चूंकि मृतक के पिता अपीलार्थी संख्या-2 की दौराने अपील मृत्यु हो चुकी है। अतः कंसोर्टियम की मद में वह कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है।

15. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	8,93,592/-
2.	कंसोर्टियम के मद में	1,60,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		10,83,592/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		8,04,576/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		2,79,016/-

16. तदनुसार अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-4788/2019, अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा दावाकर्तागण की ओर से संस्थित सिविल विविध अपील संख्या-93/2022, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट,

जिसके द्वारा दावाकर्तागण को **8,04,576/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **10,83,592/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

17. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांकित 16.07.2021 के अनुसार अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण राशि विद्वान अधिकरण के समक्ष जमा करवाकर, जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण प्रत्यर्थी-क्लेमेंट्स को किया जाए तथा 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है तथा दावाकर्तागण की अपील को स्वीकार किया जाकर दावाकर्तागण को 10,83,592/- रुपये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी पाया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि को दृष्टिगत रखते हुए दावाकर्तागण को कर दिया जावे। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

18. इस आदेश द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

19. तदनुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

20. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को लौटाया जावे।

21. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J